न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 84/2022
GCMS NO. : 2022/193

–: प्रार्थीगण :–

1. जीयाराम पुत्र सुखाराम जाति– बावरी, निवासी– डिगरना, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. सीता पत्नी धर्माराम जाति जाट
2. हुकमाराम पत्नी जाति जाट
3. आयचुकी पुत्री कालूराम जाति बावरी
4. कमलेश पुत्र कालूराम जाति बावरी
5. खेताराम पुत्र श्रवणराम जाति बावरी
6. प्रेमीदेवी पत्नी कालूराम जाति बावरी
7. प्रहलादराम पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल
8. मन्जू पुत्री श्रवण
9. ममता पुत्री श्रवण
10. रूपा पुत्र श्रवण
11. रमेश पुत्र श्रवण
12. रामअवतार पुत्र कालूराम
13. संतोष पुत्री श्रवण
    जातियान– बावरी
14. जगदीश पुत्र प्रभुराम
15. जतनाई पत्नी प्रभुराम
16. बीरबल पुत्र प्रभुराम
17. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार, तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:–07.06.2022

उपस्थित:–

1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. सरकारी पैरोकार राज0 तहसीलदार जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:–17/04/2023

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा डिगरना, पट्वार हल्का डिगरना, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल, तहसील जैतारण, जिला– पाली राजस्थान में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 203 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी का बंटवाड़ा हो रखा हैं। प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा हैं। इसी प्रकार सरहद मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना में प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चारो तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई हैं। जिसमें अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 199/1 रकबा 3.1323 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 202 रकबा 1.6592 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 203/1 रकबा 0.7851 हैक्टेयर की कृषि भूमि आई हुई हैं। उपरोक्त अप्रार्थीगण की कृषि भूमियाँ जो प्रार्थी की [illegible] भूमि चारों तरफ स्थित हैं। उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि प्रार्थी के [illegible] की कृषि [illegible] है और मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है, प्रार्थी की भूमि राजस्व रेकर्ड के नक्शे में अलग से तरमीम है तथा मौके पर भी उक्त आराजी अलग से बंटी हुई हैं।। जिसके चारो तरफ मांठे कायम हैं। परन्तु अप्रार्थीगण बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 14:50:53 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

किसी हक अधिकार के प्रार्थी की जमीन की मौके पर मांठे तोडकर दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया एवं आये दिन सीमाज्ञान व मांठ को लेकर अप्रार्थीगण विवाद करते हैं।। अप्रार्थीगण जो कि संख्या मे अधिक होने से प्रार्थी को बेवजह हैरान परेशान करते है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की जमीने अलग अलग बंटी हुई हैं।, मौके पर मांठे कायम हैं परन्तु अप्रार्थीगण जानबुझकर के मांठ को लेकर विवाद करते हैं। और बार बार कभी खन्दक को बिखेर देते है कभी तारबन्दी हटा देते है व कभी मांठ हटा देते है इस प्रकार बिना किसी अधिकार के प्रार्थी की भूमि मे दखलन्दाजी करते है और सीमा को लेकर विवाद करते है इसलिए प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र कराने सीमाज्ञान का विरुद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश हैं। प्रार्थी अपनी आराजी मे काश्त करने लगा तो अप्रार्थीगण सीमा को लेकर विवाद किया तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से सीमाज्ञान करवाने का भी निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण सीमाज्ञान करवाने के लिये भी रजामन्द नहीं हो रहे है और प्रार्थी के हिस्से की जमीन मे हक जताना शुरू कर दिया और दिनांक 28/12/2021 को प्रार्थी के खेत के चारों तरफ लगी मांठो को भी बिखेर दिया और विवाद करने लगे जबकि प्रार्थी की भूमि में अप्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नही है परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण अपनी हरकतों से बाझ नहीं आ रहे है और जबरदस्ती खन्दक को हटाकर विवाद शुरू कर दिया जबकि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड मे अलग से दर्ज है परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण गैरकानूनी तरीके से विधिविरुद्ध रूप से पिछले काफी दिनो से सीमा को लेकर विवाद कर रहे है और प्रार्थी की कृषि भूमि के चारो तरफ कायम मांठ को बिखेर कर अपना हक जता रहे है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की जमीनों के बीच में लम्बे समय से मांठ कायम है परन्तु अप्रार्थीगण जो कि संख्या मे ज्यादा होने से प्रार्थी की जमीन को सीमा विवाद करके जमीन हड़पना चाहते हैं। अप्रार्थीगण की नियत शुरू से ही गलत है और वह कानून हाथ में लेकर गैरकानूनी कृत्य करते हुए सीमा विवाद खड़ा कर दिया इसलिए प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र प्रार्थी की ओर से विरुद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश हैं। प्रार्थी द्वारा दिनांक 28/12/2021 को अप्रार्थीगण द्वारा सीमा विवाद करने पर नापचौप करवाने एवं सीमाज्ञान का कहने पर अप्रार्थीगण स्पष्ट इन्कार हो गये तब प्रार्थी ने दिनांक 02/01/2022 को तहसीलदार जैतारण को अपनी भूमि का नापचौप कर सीमाज्ञान करने का आग्रह किया तो अप्रार्थी संख्या 11 ने यह कहते हुए आग्रह ठुकरा दिया कि मौके पर विवाद हैं। इसलिए वह सीमाज्ञान नही कर सकते है तब प्रार्थी के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 16 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। तहसीलदार जैतारण ने मौका, वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम डिगरना के ख[illegible]र 203 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम स्थित हैं। उक्त [illegible] खातेदार हैं। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि के तीन तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 199/1, 202, 203/1 स्थित हैं। यह सही है कि प्रार्थी [illegible] भूमि खसरा नम्बर 203 में प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी जैतारण पाली

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर जैतारण (पाली)

केला ही खातेदार है तथा उक्त खसरा नम्बर की नक्शे में तरमीम हैं। बहस अधिवक्ता प्रार्थी सरकार पैरोकार राज की सुनी गई।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस नी गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 956 विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी सरहद मौजा डिगरना, पटवार ल्का डिगरना, में स्थित खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 203 रकबा 1. 765 हैक्टेयर की खातेदारी एवं कब्जा काश्त भूमि आई हुई हैं। प्रार्थी की भूमि के पास ही प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 199/1 रकबा 3.1323 क्टेयर, खसरा नम्बर 202 रकबा 1.6592 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 203/1 रकबा 0.7851 क्टेयर की कृषि भूमि आई हुई है, जिनकी सीमा प्रार्थी की कृषि भूमि से चिपते ही हैं। प्रार्थीगण आये दिन सीमाज्ञान व मांठ को लेकर आये दिन विवाद करते रहते हैं। इसलिए दग्रस्त आराजी का मौके पर सीमाज्ञान करवाकर माठे कायम कर पत्थरगढी किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात तथा जमाबन्दी, फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया जाकर बहस वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार राज तहसीलदार जैतारण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी उक्त विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार हैं तथा सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 203 की आराजी का मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शा मौकें पर नाप चौप करते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम- डिगरना, पटवार हल्का- डिगरना, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र- निम्बोल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 203 रकबा 1.0765 हैक्टर का मुताबिक जमाबन्दी एवं सेट्लमेन्ट भू नक्शे के अनुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 17/04/2023 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:53 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण पाली